

# सूचना फलक

(महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५)

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित केलेल्या सेवांबाबत तपशील कार्यालयाचे नांव :- प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन)


विभाग :- विकास नियोजन / इमारत प्रस्ताव

अनु.क्र.	अधिसूचित लोकसेवेचा तपशील	लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा	लोकसेवा पुरविण्यासाठी निर्धारित शुल्क	पदनिर्देशित अधिकारी	प्रथम अपिलीय अधिकारी	द्वितीय अपिलीय अधिकारी
१	झोन दाखला देणे	०७ दिवस	विकास नियोजन/इमारत प्रस्ताव विभागाच्या शुल्काच्या प्रचलित दराचे परिपत्रक	कार्यकारी अभियंता (विकास नियोजन) शहर / पूर्व उपनगरे	उप प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) - I	प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन)
				कार्यकारी अभियंता (विकास नियोजन) एच व के, पी व आर	उप प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) - II	
२	बांधकाम परवाना देणे (IOD)	६० दिवस	वरील प्रमाणे	कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) शहर	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) शहर	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	
३	जोते प्रमाणपत्र (CC)	१५ दिवस	वरील प्रमाणे	कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) शहर	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	

४	भोगवटा प्रमाणपत्र (OC)	३० दिवस	वरील प्रमाणे	कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) शहर	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) शहर	प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन)
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पूर्व उपनगरे	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे - I	
				कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) पश्चिम उपनगरे -II	
				कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) विशेष कक्ष	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	
५	मोबाईल टॉवर परवाना	३० दिवस	वरील प्रमाणे	कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) विशेष कक्ष	उप प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष	

तृतीय व अंतिम अपिल राज्य आयुक्त, कोकण यांचेकडे करता येईल.

त्यांचा ई-मेल [crt.s.konkan@maharashtra.gov.in](mailto:crt.s.konkan@maharashtra.gov.in), दूरध्वनी क्र. ०२२-२०८७०५१५

  
 प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन)  
 कार्यालय प्रमुख